कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।

क्रमांक–जिशिअ/प्रा.शि./गंगा/मान्यता/2013/2109

दिनांकः–29.8.14

(आर.टी.ई. एक्ट के अंतर्गत पुनः पंजीयन)
मान्यता कोड संख्यांक 1067

प्रबंधक,
श्री रामराय पब्लिक स्कूल प्रबंध समिति,
47 एफ, श्रीकरणपुर।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय

आपके दिनांक 20.02.2013 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं **श्री गुरू रामराय पब्लिक स्कूल, 47 एफ, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (अंग्रेजी माध्यम)** को दिनांक 01.01.2013 से 01.01.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा – 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा – 12(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण–पत्र न होने के कारण प्रवेश से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा किः–

   (I) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जा सकेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

   (II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

   (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

   (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम – 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

   (V) अधिनियम के उपबंधों के अनुसान निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।

   (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (I) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

Scanned with CamScanner

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (I) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारिक पाठयचर्चा के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा – 19 के अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात मं विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा – 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन में की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

    विद्यालय परिसर का क्षेत्र – **11385 वर्ग मीटर**

    कुल निर्मित क्षेत्र – **3526.5 वर्ग मीटर**

    क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल – **8613.5 वर्ग मीटर**

    कक्षा कमरों की संख्या – **30**

    प्रधानाध्यापक–सह कार्यालय–सह–भंडार कक्ष – **2**

    बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – **4**

    पेयजल सुविधा– **उपलब्ध है।**

    मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– **1**

    बाधा रहित पहुंच– **उपलब्ध है**

    विद्यालय के परिसर के भीतर/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. विद्यालय के पसिर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण कीएक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 1067 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत, अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
19. संलग्न उपाबन्ध– III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा0शि0 श्रीगं...

Scanned with CamScanner